रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1483] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2006/अग्रहायण 24, 1928
No. 1483] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2006/AGRAHAYANA 24, 1928

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2100(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि विश्वेश्वर्या विद्युत निगम लिमिटेड (विविनिलि), जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक निगमित कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय डीजी प्लांट, सिंगानायकनाहाली, डाकघर : येल्हांका, बंगलौर- 560064 कर्नाटक में है, कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक निगमित कंपनी है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय शक्ति भवन, सं0 82, रेस कोर्स रोड, बंगलौर- 560001 के साथ, नीतिगत समन्वय, दक्ष प्रशासन, अधिशेष निधियों के लाभकर नियोजन, पावर उद्योग की वृद्धि के लिए और लोकहित में उत्पादन, सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, समामेलित की जानी चाहिए ;

और दोनों कंपनियों, अर्थात् विश्वेश्वर्या विद्युत निगम लिमिटेड और कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने, 22 जुलाई, 2003 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशनों में दोनों कंपनियों के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा समामेलन की स्कीम को अनुमोदित कर दिया है ;

और समामेलन के लिए प्रारूप आदेश की एक प्रति दो समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए पूर्वोक्त कंपनियों को भेज दी गई थी, जिसके द्वारा आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मांगे गए थे ;

और पूर्वोक्त कंपनियों के समामेलन की स्कीम, दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात्, एशियन एज (अंग्रेजी), तारीख 29 जनवरी, 2006 और समयुक्ता कर्नाटक (कन्नड), तारीख 2 फरवरी, 2006 में प्रकाशित की गई थी ;

और समामेलन की स्कीम के विरुद्ध कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त कंपनियों के समामेलन एकल कंपनी में, उपबंध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम**--इस आदेश का संक्षिप्त नाम विश्वेश्वर्या विद्युत निगम लिमिटेड और कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड समामेलन आदेश, 2006 है ।

2. **परिभाषाएं**--इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ;

(ख) "विघटित कंपनी" से विश्वेश्वर्या विद्युत निगम लिमिटेड अभिप्रेत है ;

(ग) "परिणामी कंपनी" से कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है ।

3. **शेयर धारण का पैटर्न**-- 31 मार्च, 2003 को उक्त कंपनियों के शेयर धारण का पैटर्न निम्नलिखित रूप में है :

(i) विघटित कंपनी :--विश्वेश्वर्या विद्युत निगम लिमिटेड ।

शेयर धारक/शेयर धारकों का नाम	शेयरों की संख्या (पूर्णतः संदत्त हजार रुपए)	रकम (रुपए में)
कर्नाटक सरकार, जिसमें उसके नामनिर्देशिती सम्मिलित हैं	8, 02, 807	80,28,07,000
योग	**8, 02, 807**	**80,28,07,000**

(ii) परिणामी कंपनी :--कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शेयर धारक/शेयर धारकों का नाम	शेयरों की संख्या (पूर्णतः संदत्त हजार रुपए)	रकम (रुपए में)
कर्नाटक सरकार, जिसमें उसके नामनिर्देशिती सम्मिलित हैं	66,29,815	662,98,15,000
योग	**66,29,815**	**662,98,15,000**

4. कंपनियों का समामेलन-(1) नियत दिन से ही, विघटित कंपनी का संपूर्ण कारबार और उपक्रम जहां है, जैसा है की शर्त पर जिसके अंतर्गत सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हों या स्थावर और अन्य आस्तियां, चाहे वे जिस प्रकृति की हों, जिसमें अंतर्गत मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां या पट्टे, अभिधृति अधिकार, शेयरों या अन्यथा में विनिधान, व्यापार स्टाक, कर्मशाला के औजार, अभिवहन में माल, सभी किस्मों के धन का अग्रिम, बही ऋण, बकाया धन, वसूली योग्य दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञापत्र, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय पत्र और प्रत्येक प्रकार के सभी अधिकार और शक्तियां सम्मिलित हैं किन्तु विघटित कंपनियों की उक्त संपत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधक और प्रभार और आडमान, प्रत्याभूतियां और सभी अधिकारों, जो भी हों, के अधीन रहते हुए बिना किसी और कार्रवाई या कार्य के तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार परिणामी कंपनी को अंतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी या उसको अंतरित और उसमें निहित समझी जाएगी ।

(2) लेखा प्रयोजनों के लिए, समामेलन, विघटित कंपनी के 31 मार्च, 2006 को संपरीक्षित लेखाओं और तुलनपत्रों के प्रतिनिर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् संव्यवहार एक ही खाते में पूलित किए जाएंगे । विघटित कंपनी से किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उनके अंतिम लेखे तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कंपनी विघटित कंपनी के 31 मार्च, 2006 के तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् विघटित कंपनी के सभी संव्यवहारों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करेगी ।

स्पष्टीकरण- विघटित कंपनी के उपक्रम के अंतर्गत सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी जंगम या स्थावर संपत्तियां, जिनमें रोकड अतिशेष, आरक्षितियां, राजस्व अतिशेष, विनिधान, ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य हित और अधिकार, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कंपनी के हों या उनके कब्जे में हों, सम्मिलित हैं और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज तथा विघटित कंपनी के उस समय विद्यमान किसी भी प्रकार के सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं भी हैं ।

5. **संपत्ति की कतिपय मदों का अंतरण**- इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को विघटित कंपनी के सभी लाभ या हानियां या दोनों, यदि कोई हों, और विघटित कंपनी की राजस्व आरक्षितियां या कमियां, या दोनों, यदि कोई हों, जब परिणामी कंपनी को अंतरित कर दिया जाता है, यथास्थिति, परिणामी कंपनी के लाभ या हानि और राजस्व आरक्षितियों या कमी का क्रमशः भागरूप होंगी ।

6. **संविदाओं आदि की व्यावृत्ति**- इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार और अन्य लिखत, चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, जिनकी विघटित कंपनी पक्षकार है, जो नियत दिन से ठीक पूर्व अस्तित्व में हैं या प्रभाव रखते हैं, परिणामी कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानों विघटित कंपनी के स्थान पर परिणामी कंपनी उसकी एक पक्षकार रही हो ।

7. **विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति**--यदि, नियत दिन को, विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही, चाहे किसी प्रकृति की हो, लंबित है तो विघटित कंपनी के उपक्रम के परिणामी कंपनी को अंतरित हो जाने पर या इस आदेश में किसी बात के कारण उपशमित नहीं होगी या रोकी नहीं जाएगी या किसी भी प्रकार के प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं होगी, और वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही उसी रीति से और उसी सीमा तक परिणामी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी और अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकेंगी जिस प्रकार यदि वह आदेश न किया गया होता तो विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहती, अभियोजन किया जाता और प्रवृत्त रहती ।

8. **कराधान की बाबत उपबंध-** नियत दिन से पूर्व, विघटित कंपनी द्वारा किए गए कारबार के लाभों और अभिलाभों (जिनके अंतर्गत संचित हानियों और अनामेलित अवक्षयण सम्मिलित है) की बाबत सभी कर, परिणामी कंपनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए, संदेय होंगे जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात किए जाएं ।

9. **विघटित कंपनी के विद्यमान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध-** (1) क्योंकि विघटित कंपनी के सभी कर्मचारी, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनकी सेवा शर्तें, कर्नाटक सरकार द्वारा यथापरिकल्पित उसकी अधिसूचना सं0 डीई 14 पीएसआर 2002, तारीख 31 मई, 2002 द्वारा स्थानांतरण की स्कीम द्वारा विनियमित की जाती हैं, कर्मचारी, विभिन्न कंपनियों जैसे केपीटीसीएल या एस्कॉम्स के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने को अनुज्ञात होते ।

(2) जहां विघटित कंपनी के कर्मचारी परिणामी कंपनी में, या तो आमेलन या प्रतिनियुक्ति के आधार पर आने की इच्छा कर रहे हैं, उनको सेवा के उन निबंधनों से, जो विघटित कंपनी में अभिप्राप्त कर रहे थे, कम अनुकूल नहीं दिए जाएंगे ।

10. **निदेशकों की स्थिति**--विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसी रूप में पद धारण किए हुए है, नियत दिन को विघटित कपंनी का निदेशक नहीं रह जाएगा ।

11. **भविष्य निधि/पेंशन स्कीम की सदस्यता**-- विघटित कंपनी में आमेलन के लिए विकल्प करने वाले कर्मचारी, विघटित कंपनी के कर्मचारियों को यथा लागू सेवांत प्रसुविधाएं और अधिवार्षिकी के हकदार होंगे । परिणामी कंपनी में आमेलित करवाने के लिए ऐसी इच्छा करने वाले कर्मचारियों की कुल प्रोद्भूत पेंशन, उपदान और छुट्टी विषयक संदाय दायित्व की संगणना बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार की जाएगी और उनका, कर्नाटक सरकार को संदेय प्रतिफल के रूप में समायोजन होगा अर्थात् ऐसे दायित्व की रकम से कम विद्यमान शेयर पूंजी के लिए शेयर जारी होंगे जो अधिसूचना सं0 डीई 14 पीएसआर 2002, तारीख 31.2.2002 में परिकल्पित स्थानांतरण स्कीम के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा ग्रहण किया गया है ।

3899 GI 06-2

12. **विश्वेश्वर्या विद्युत निगम लिमिटेड का विघटन**-- इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से ही, विश्वेश्वर्या विद्युत निगम लिमिटेड का विघटन हो जाएगा और कोई व्यक्ति, विघटित कंपनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध, उसके ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में कोई दावा नहीं करेगा, मांग प्रख्यापित नहीं करेगा या कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा सिवाय उनके जो इस आदेश के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हों ।

13. **परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद**-- कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जिस रूप में वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं, नियत दिन से ही, परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंगे ।

[फा. सं. 24/10/2003-सी.एल.-III]

जीतेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2006

S.O. 2100(E).— Whereas, the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the Visvesvaraya Vidyuth Nigama Limited (VVNL), a Government Company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at DG Plant, Singanayakanahalli, P.O: Yelahanka, Bangalore-560064, Karnataka should be amalgamated with the Karnataka Power Corporation Limited, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at Shakthi Bhavan, No.82, Race Course Road, Bangalore-560001, for the purpose of ensuring co-ordination in policy, efficient administration, gainful employment of surplus funds, generated for the growth of the power industry and in public interest;

AND WHEREAS, the two companies namely, the Visvesvaraya Vidyuth Nigama Limited and the Karnataka Power Corporation Limited have approved the scheme of amalgamation by resolution passed by the shareholders of the two companies in the Extraordinary General Meetings held on the 22nd July, 2003;

AND WHEREAS, a copy of the draft Order for amalgamation was sent to the aforesaid companies for its publication in two newspapers inviting objections and suggestion, if any;

AND WHEREAS, the scheme of amalgamation of the aforesaid companies was published in the daily newspapers, namely, the Asian Age (English) dated the 29th January,2006 and Samyukta Karnataka (Kannada) dated 2nd February,2006;

AND WHEREAS, no objections were received against the scheme of amalgamation;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following Order to provide for the amalgamation of the said companies into a single company, namely:

(1) **Short title.-** This Order may be called the Visvesvaraya Vidyuth Nigama Limited, and the Karnataka Power Corporation Limited Amalgamation Order, 2006.

(2) Definitions. - In this Order, unless the context otherwise requires,-

(a) "appointed day" means the date on which this Order is notified in the Official Gazette;
(b) "dissolved company" means the Visvesvaraya Vidyuth Nigama Limited;
(c) "resulting company" means the Karnataka Power Corporation Limited.

3. Share holding pattern. - The shareholding pattern of the said Companies as on the 31st March, 2006 is as under:

(i) Dissolved Company:- The Visvesvaraya Vidyuth Nigama Limited.

Name of the Shareholder/s	Number of Shares (Rs.1000 fully paid up)	Amount (in rupees)
Government Of Karnataka including their Nominees	8,02,807	80,28,07,000
Total	**8,02,807**	**80,28,07,000**

(ii) Resulting Company:- The Karnataka Power Corporation Limited

Name of the Shareholder/s	Number of Shares (Rs.1000 fully paid up)	Amount (in rupees)
Government of Karnataka including their Nominees	66,29,815	662,98,15,000
Total	**66,29,815 .**	**662,98,15,000**

4. Amalgamation of companies.-(1) On and from the appointed day, the entire business and undertaking of the dissolved company, in "as is where is" condition, including all the properties, movable or immovable and other assets of whatsoever nature, including machinery and all fixed assets, leases, tenancy rights, investments in shares or otherwise, stock-in-trade, workshop' tools, goods-in-transit, advances of moneys of all kinds, book debts, outstanding moneys, recoverable claims, agreements, industrial and other licences and permits, imports and other licenses, letters of intent and all rights and powers of every description, but subject to all mortgages and charges and hypothecations, guarantees, and all rights whatsoever, affecting the said properties of the dissolved company shall without further act or deed be transferred to, and vest in or deemed to be transferred to and vest in the resulting company in accordance with the law in force.

(2) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on the 31st March, 2006 of the dissolved company and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet of the dissolved company as on 31st March, 2006 and accept full responsibility for all transactions of the dissolved company thereafter.

Explanation- The undertaking of the dissolved company shall include all rights, powers, authorities and privileges and all property, movable or immovable, including cash balances, reserves, revenue balances, investments, all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to, or be in the possession of the dissolved company, immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

5. Transfer of certain items of property.- For the purpose of this Order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits, or both, if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company, shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. Saving of contracts, etc.- Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually, as if, instead of the dissolved company, the resulting company had been a party thereto.

7. Saving of legal proceedings.- If, on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceeding of whatever nature by or against the dissolved company is pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this Order, and the suit, prosecution, appeal or other legal proceeding may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would have or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company as if this Order had not been made.

8. Provisions with respect to taxation. - All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and relief as may be allowed under the Income-tax Act, 1961)1 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. Provisions regarding existing officers and other employees of the dissolved company.- (1) Since all employees of the Dissolved company are on deputation from the Karnataka Power Transmission Corporation Limited and their service conditions governed by the scheme of transfer as envisaged by the Government of Karnataka vide its Notification No. DE 14 PSR 2002 dated the 31st May 2002, the employees would be allowed to exercise their option to the various companies viz. KPTCL or the Escoms.

(2) Where the employees of the Dissolved company are willing to come over to the Resulting Company either on absorption or deputation basis they shall be given terms of service not less favourable than what were obtaining in the Dissolved company.

10. Position of Directors. - Every director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

11. Membership of Provident Fund/Pension Scheme. - The employees opting for absorption in the resulting company shall be entitled to the terminal benefits and superannuation scheme as applicable to the employees of the resulting company. The aggregate accrued pension, gratuity and leave encashment liability of the employees so willing to get absorbed in the Resulting company shall be computed as per actuarial valuation and the same adjusted against the consideration payable to the Government of Karnataka i. e. the shares would be issued for the existing share capital less the amount of such liability which is assumed by the Government of Karnataka as per the scheme of Transfer envisaged in the notification No. DE 14 PSR 2002 dated 31.5.2002.

12. Dissolution of the Visvesvaraya Vidyuth Nigama Limited.- Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, the Visvesvaraya Vidyuth Nigam Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or any officer thereof in his or her capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

13. Memorandum and Articles of Association of the resulting company. - The Memorandum and Articles of Association of the Karnataka Power Corporation Limited as it stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.

[F. No. 24/10/2003-CL-III]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

3899 GI/02-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.